

उत्तर प्रदेश शासन


खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग

संख्या-1645/अट्ठासी-2011-100खा./11

लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2011

अधिसूचना

खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.3 के उपनियम 2 के साथ पठित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 34, सन् 2006) की धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि उक्त नियम के प्रारम्भ होने के दिनांक 05 अगस्त, 2011 को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 37, सन् 1954) (अब निरसित) के उपबन्धों के अधीन खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के संवर्ग से सम्बन्धित और उसमें कार्यरत व्यक्ति (खाद्य निरीक्षक से मुख्य खाद्य निरीक्षक के रूप में पदोन्नत व्यक्तियों सहित) दिनांक 05 अगस्त, 2011 से यथास्थिति खाद्य सुरक्षा अधिकारी और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

आज्ञा से

(स्तुति कक्कड़)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1645(1)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि सुयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उ0प्र0, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी भाषा की अधिसूचना की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में उक्त तिथि को प्रकाशित कराने का कष्ट करें। उक्त अधिसूचना की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से


(रवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-1645(2)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- (2) प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उ0 प्र0 शासन।

- (3) आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- (5) समस्त मण्डलायुक्त उ० प्र०
- (6) समस्त जिलाधिकारी उ० प्र०।
- (7) समस्त मुख्य कोषाधिकारी।
- (8) समस्त मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग।
- (9) विधायी अनुभाग-1
- (10) भाषा अनुभाग-5
- (11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
Khadya Suraksha Evam Oshadhi Prashasan Anubhag


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no-1645 / 88-2011-100kha/ 11 dated 11 August 2011

Notification

No. 1645/ 88-2011-100kha/ 11

Lucknow : Dated: 11---- August 2011

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act no. 34 of 2006) read with sub-rule 2 of rule 2.1.3 of the Food Safety and Standards Rules, 2011, the Governor is pleased to notify that persons belonging to and working in the cadre of Food Safety and Drug Administration Department on August 5, 2011 the date of the commencement of the said rules (including the persons who have been promoted as Chief Food Inspectors from Food Inspectors) appointed as Food Inspectors under the provisions of prevention of food Adulteration Act, 1954 (Act no. 37 of 1954) (now repealed) shall perform the duties of the Food Safety Officers and Chief Food Safety Officers as the case may be, with effect from August 5, 2011.

By Order,

(Stuti Kacker)
Principal Secretary.

2